झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1183 वर्ष 2017

1. मृत्युंजय कुमार सिंह

2. राजीव कुमार सिंह

3. विश्वनाथ राजवर

4. बलदेव प्रसाद यादव .... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. भारतीय इस्पात प्राधिकरण अपने अध्यक्ष के माध्यम से

2. बोकारो स्टील लिमिटेड अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से

3. उप महाप्रबंधक, अनुबंध प्रकोष्ठ (गैर कार्य), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बोकारो स्टील प्लांट

4. उप महाप्रबंधक, संपर्क और प्रशासन विभाग, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिट्रेड, बोकारो स्टील प्लांट

5. वरिष्ठ प्रबंधक, संपर्क और प्रशासन विभाग, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, बोकारो स्टील प्लांट

.....उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्ताओं के लिए :– श्री राकेश कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता–सेल के लिएः– मैसर्स राजीव रंजन, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रेष्ठ गौतम, अधिवक्ता

02/02.03.2017 याचिकाकर्ताओं के वकील और उत्तरदातागण के वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना गया।

2. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि वे समय–समय पर एन0आई0टी0 के माध्यम से जारी की गई आवश्यकता के अनुसार, उत्तरदाताओं को काफी समय से वाहन उपलब्ध करने के व्यवसाय में है। वर्ष 2014 में जारी किए गए ऐसे ही एक एन0आई0टी0 में, 31.10.2015 को जारी शुद्धिपत्र के माध्यम से एक विशेष मॉडल की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से इंगित किया गया था कि अब से केवल उन्नत मॉडल को ही स्वीकार किया जाएगा। इस तरह की आपूर्ति के लिए 14 फरवरी, 2017 को जारी एन0आई0टी0 में जिन शर्तों का संकेत दिया गया है, उनमें 2008 या उसके बाद के मॉडल की आपूर्ति शामिल है और यह कि आपूर्तिकर्ता को निर्धारित मॉडल के अनुसार न्यूनतम दो वाहनों का मालिक होना चाहिए। याचियों के अनुसार, जो एक वाहन के मालिक एवं स्वयं चालक भी हैं, यह शर्त उनके व्यवसाय करने के अवसरों को बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसलिए उन्होनें अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

3. याचियों के वकील प्रस्तुत करते हैं कि यदि एन0आई0टी0 की शर्तों को संशोधित किया जाता है, जहां तक वाहन के मॉडल और स्वामित्व का संबंध है, तो याचियों को भी भाग लेने का मौका मिलेगा।

4. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने हालांकि प्रार्थना पर आपत्ति जताई है। वह प्रस्तुत करते हैं कि एन0आई0टी0 की शर्तें न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के लिए खुली नहीं है क्योंकि यह

नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो अपनी आवश्यकता के अनुसार मानक और शर्तें निर्धारित करने का हकदार है, जिसके तहत किसी भी हितबद्ध बोलीदाता द्वारा खरीद, आपूर्ति आदि की जानी है। उन्नत विशेषताओं वाले बेहतर वाहनों की खरीद के लिए मॉडल का उन्नयन तर्कसंगत आधार पर किया गया है। उत्तरदाताओं ने बोलीदाता की कम से कम दो वाहनों की आपूर्ति करने की क्षमता को भी ध्यान में रखा है। याचिकाकर्ता नियमों और शर्तों में कोई अतार्किकता या दुर्भावना नहीं दिखाा पाए हैं जिससे उसमें हस्तक्षेप करने की मांग की जा सके।

5. प्रासंगिक तथ्यों के मद्देनजर पक्षकारों की प्रस्तुतियों पर विचार किया गया। एन0आई0टी0 के नियम और शर्तें आमतौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा के सीमित आधारों को छोड़कर चुनौती के लिए खुली नहीं है। याचिकाकर्ता एन0आई0टी0 में निर्धारित शर्तों में तर्कसंगत कमी नहीं दिखा पाए हैं। केवल इस तथ्य के कारण कि पिछली एन0आई0टी0 के तहत निर्धारित मॉडल 2005 के थे, यह नियोक्ता को उसके कुछ वर्षों के बाद एन0आई0टी0 में मॉडल को उन्नत करने से नहीं रोकेगा, जैसा कि किया गया है। हालांकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे पहले नियमित आधार पर प्रतिवादी नियोक्ता को आपूर्ति पर स्वयं अपने वाहन चलाते हैं। उन्हें कारोबार से बाहर कर दिया जाएगा। याचियों के वकील ने कहा है कि दो वाहनों की आवश्यकता पर हालांकि प्रतिवादी द्वारा पुनर्विचार किया जा सकता है।

6. हालांकि यह न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है क्योंकि अतार्किकता के ऐसे कोई आधार नहीं बनाए गए हैं, लेकिन यदि याचिकाकर्ता एक

अभ्यावेदन के साथ प्रत्यर्थी से संपर्क करते हैं, तो वे उचित समय के भीतर कानून के अनुसार, अपने गुणागुण के आधार पर, तत्काल एन0आई0टी0 दो वाहनों की न्यूनतम आवश्यकता के शर्त पर विचार कर सकती है। रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)